राजस्थान पुलिस

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–व–15( )पुलिस–विधि/ग्रुप–7/2005 8041 दिनांकः –11–2005

1 - DEC 2005

परिपत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 हेबियस कॉरपस(पी.आई.एल.) संख्या 4044/2002 श्रीमती मनोहरी देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में याचि के पति श्री रामनिवास कानि0नं.840 के अचानक अपनी ड्यूटी से गायब हो जाने एवं उसकी गुमशुदगी की कार्यवाही पर उसकी तलाशी की कार्यवाही किये बगैर ही पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ द्वारा उसके विरूध्द नियम 16 सी0सी0ए0 की विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर उसे राज्य सेवा से पृथक करने के दण्ड से दण्डित किए जाने की कार्यवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये उसकी बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने एवं गुमशुदा कर्मचारी श्री रामनिवास की मृत्यु मानते हुये उसके आश्रितों को सभी पेंशनरी परिलाभ प्रदान करने के राज्य सरकार को आदेश दिये है।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 में विहित प्रक्रिया को अपना कर ही किसी दोषी राज्य कर्मचारी को इन नियमों के नियम 14 में उपबन्धित शास्ति से दण्डित किया जा सकता है। जहां कर्मचारी लापता हो जाता है वहां इन नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना सम्भव नहीं होती। प्राकृतिक न्याय के सिध्दान्त "दूसरे पक्ष की भी सुनों" (audi altermpartem) की पालना भी गुमशुदा कर्मचारी के मामले में नही होती है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1 (2) एफडी/ग्रुप–2/80 दिनांक 19.11.93 में भी इस आशय के निर्देश प्रदान किये गये है कि जहां कोई कर्मचारी एक वर्ष तक लापता रहता है वहां ऐसे कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी जावें।

उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में विभाग के समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी कर्मचारी के स्वेच्छया कर्तव्य से अनुपस्थिति प्रमाणित होने पर ही उसके विरूद्व सी0सी0ए0 नियम 16 की विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जावें। कर्मचारी के लापता हो जाने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश की जावे। यह प्रमाणित होने पर कि वास्तव में कर्मचारी लापता हो गया है तथा उसका मिलना असंभव है तब उसके परिवार को पारिवारिक पैंशन एवं नियमों में विहित समस्त परिलाभ प्रदान किये जावें।

(एम0के0देवराजन)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।

1. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
2. निदेशक, आर0पी0ए0 जयपुर/आर0पी0टी0सी, जोधपुर।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 बटालियन्स राजस्थान।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(मुख्यालय)राजस्थान जयपुर।

राजस्थान

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांकः- प-15(7)पुलिस विधि/ग्रुप-7/06/ 1980 दिनांक 23 मई, 06

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।

2. निदेशक, आर0पी0ए0/एफ0एस0एल0/एस. सी. आर. बी. /पी. टी. सी., राजस्थान।

3. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।

4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी0आर0पी0, अजमेर/जोधपुर ।

5. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 बटालियन मय आई0आर0बटालियन/ पी. टी.एस. /एम. बी. सी. /आर0पी0टी0सी0, राजस्थान मय मोटर ड्राईविंग स्कूल, बीकानेर ।

विषयः- न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी द्वारा उनके स्थान पर नियुक्त हुए अन्य प्रभारी अधिकारी को प्रकरण का चार्ज मय रिकार्ड के सुपुर्द करने बाबत ।

...

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्याय विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि न्यायिक प्रकरण में कार्यरत प्रभारी अधिकारी का यदि स्थानान्तरण हो जाता है, तो उसका यह दायित्व बनता है कि उनके स्थान पर पदस्थापित हुए अधिकारी को प्रकरण से सम्बंधित समस्त रिकार्ड सुपुर्द कर अपने नव पदस्थापन के लिये प्रस्थान करें । यदि कोई अधिकारी प्रभारी अधिकारी का चार्ज नये आये प्रभारी अधिकारी को सुपुर्द नहीं करते हैं तो लेखा शाखा को निर्देशित करें कि जब तक वह प्रकरण से सम्बंधित रिकार्ड का चार्ज सुपुर्द नहीं कर देते हैं तब तक उनकी एल0पी0सी0 जारी नहीं की जावे ।

भवदीय,

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान, जयपुर।

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांक:- क-13[1]पुलिस विधि/ग्रुप-7/2006/9399 दिनांक:- 15/6/06

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान मय आर0ए0सी0/रेल्वेज/ आर0पी0टी0सी0, जोधपुर ।
3. निदेशक, आर0पी0ए0/पुलिस दूर संचार/एफ.एस.एल., जयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी0आर0पी0, अजमेर/जोधपुर ।
6. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी मय आई0आर0बटालियन/एम0बी0सी0खेरवाड़ा।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान ।

विषय:- माननीय न्यायालय निर्णयों की अनुपालना त्वरित गति से किये जाने के सम्बंध में ।

...

महोदय,

राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों में जिन न्यायालय निर्णय के विरूद्ध आगे अपील नहीं करने का निर्णय राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय के स्तर से लिया जाकर अनुपालना के निर्देश प्रदान किये जाते हैं, उनमें भी प्रायः यह देखा गया है कि निर्णय में विहित अवधी अथवा समुचित समयावधि में अनुपालना नहीं की जाती है । जिसके कारण राज्य सरकार व विभाग के उच्चाधिकारियों के विरूद्ध अनावश्यक रूप से अवमानना याचिकायें प्रस्तुत हो जाती हैं । जिसे राज्य सरकार के स्तर पर अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है ।

अतः एतद् द्वारा विभाग के समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि जिन मामलों में न्यायालय निर्णयों के विरूद्ध आगे अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाकर पालना हेतु लिखा जावे, उन सभी मामलों में आवश्यक रूप से एक माह की अवधि में निर्णयानुसार निर्णय की पूर्ण-रूपेण पालना सुनिश्चित की जावे तथा पालना में जारी आदेशों की प्रतियाँ व पालना रिपोर्ट इस अवधि में गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय को भेजी जावे । जिन मामलों में एक माह की अवधि में पालना रिपोर्ट नहीं भेजी जावेगी, उन मामलों में इसके लिये उत्तरदायी सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि समय पर अनुपालना नहीं होने के कारण कोई अवमानना याचिका दायर होती है तो उसके बचाव में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले खर्चों की भी ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जावेगी ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

महानिरीक्षक पुलिस (नियम),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः र-9(39)पु.वि./ग्रुप-7/90/770 दिनांक 22 फैरवरी-07

परिपत्र

पुलिस मुख्यालय के ध्यान में एक ऐसा प्रकरण आया है जिसमें हत्या के आरोप में चालान किये गये एक कानि. को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नियम 16 सी.सी.ए. में आरोप पत्र दिया गया था। चूँकि विभागीय जाँच के समय आरोपित कर्मचारी न्यायिक अभिरक्षा में था तथा जाँच कराना सम्भव नहीं था, पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच तब तक के लिये ड्राप कर दी गई जब तक कि आरोपित कर्मचारी न्यायिक अभिरक्षा में है। इसके पश्चात् आरोपित कर्मचारी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सजा सुना दी गई। इस पर उसे सी.सी.ए. नियमों के नियम 19 (1) में वर्णित प्रावधानानुसार बिना विभागीय जाँच किये ही न्यायालय द्वारा दी गई सजा के आधार पर राज्य सेवा से पृथक करने के स्थान पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत जाँच प्रारम्भ कर दी गई। तत्समय भी आरोपित कर्मचारी न्यायिक अभिरक्षा में ही था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व, विभागीय जाँच के दौरान आरोपित कर्मचारी ने बचाव पक्ष के एक गवाह के बयान लेने हेतु जाँच अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर जाँच अधिकारी द्वारा तारीख निश्चित कर सम्बन्धित को जेल में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। नियत तारीख पर बचाव पक्ष का गवाह जेल में उपस्थित भी हुआ लेकिन जाँच अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण उस गवाह के बयान नहीं हो सके। तदुपरान्त जाँच अधिकारी ने बचाव पक्ष के उक्त गवाह के बयान लेने के लिये और कोई अवसर नहीं दिया तथा अपना जाँच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक (अनुशासनिक प्राधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।

जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत आरोपित कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया। इस पर आरोपित कर्मचारी ने अपना लिखित प्रतिवेदन तैयार करने के लिये पुलिस अधीक्षक से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियाँ चाही। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित कर्मचारी द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये, अपितु आरोपित कर्मचारी को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय अपील में तत्समय सम्बन्धित रेन्ज उपमहानिरीक्षक पुलिस (अपीलीय प्राधिकारी) ने भी उक्त सजा को यथावत रखा। विभागीय कार्यवाही में पारित दण्डादेश के विरूद्ध बर्खास्तशुदा कर्मचारी द्वारा एक रिट पिटीशन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें निर्णय करते हुये न्यायालय ने उसे राज्यसेवा में वापस लेने के निर्देश प्रदान किये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रदत्त निर्देश निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

(i) जाँच अधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को उसके बचाव के लिये पर्याप्त मौका नहीं दिया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत है।

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी दोनों के आदेश सूक्ष्म है, दोनों ने उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुये विस्तृत टिप्पणी नहीं लिखी है जिससे प्रतीत होता है कि उन्होने विवेक से कार्य नहीं किया एवं Mind apply नहीं किया।

माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी आपके ध्यान में लाया जाना इसलिये आवश्यक समझा गया है ताकि इस तरह की कमियाँ विभागीय जाँच एवं अपील प्रकिया में नहीं रहे जिससे आरोपित अधिकारी/कर्मचारी को अनुचित लाभ मिले।

आरोपित अधिकारी/कर्मचारी को अपने बचाव में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिये। आरोपित अधिकारी/कर्मचारी यदि बार-बार मौका देने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो उसी परिस्थिति में

एकतरफा कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि जब आरोपित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दस्तावेजों की प्रतियाँ माँगी जाती है तब सामान्यतया उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज देखकर वांछित दस्तावेज के उद्धरण स्वयं प्राप्त कर लेवे। जिन दस्तावेजों का विवरण आरोप पत्र के साथ संलग्न सूची दस्तावेजों में होता है तथा अन्य दस्तावेज जिनका सीधा सम्बन्ध आरोपित अधिकारी/कर्मचारी पर लगाये आरोपों से होता है या अन्य ऐसे दस्तावेजात जो उसके बचाव के काम आ सकते है, उन्हें प्रदान करने के लिये यह उपयुक्त होगा कि जब उनके द्वारा ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ माँगी जाती है तो उनकी छाया प्रतियाँ उपलब्ध करवाकर उसकी रसीद प्राप्त कर विभागीय जाँच पत्रावली में शामिल कर ली जावे। कुछ आरोपित अधिकारी/कर्मचारी जाँच के समय एवं अनुच्छेद 311 का नोटिस जारी होने पर पुनः सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रतियाँ माँगते है ऐसी हालत में जाँच के दौरान जिन दस्तावेजों की प्रतियाँ देकर जो रसीद प्राप्त की गई है, उन दस्तावेजों को दुबारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है तथा शेष दस्तावेजात उपलब्ध करवाकर उनकी रसीद भी प्राप्त कर पत्रावली पर रखी जाये।

जाँच अधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात को ध्यान में अवश्य रखे कि बचाव के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने का अर्थ जाँच को अनावश्यक रूप से दीर्घकाल तक लम्बित रखना नहीं है। जाँच यथाशीघ्र तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी को पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुये पूर्ण की जानी चाहिये।

यह भी देखने में आया है कि नियम 16 एवं 17 सी.सी.ए. की दोनों जाँचों में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा केवल यह उल्लेख करते हुये कि आरोपित अधिकारी/कर्मचारी का जवाब सन्तोषजनक नहीं है, आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों को प्रमाणित मानकर दण्डादेश पारित कर देते हैं। ऐसे आदेश जब पुनर्वालोकन के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष अथवा रिट याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो सामान्यतया महामहिम या न्यायालय द्वारा यह मानते हुये याचिका स्वीकार कर ली जाती है कि अनुशासनिक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा **Mind apply** नहीं किया है। अतः यह भी आवश्यक है कि निर्णय/आदेश पारित करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी उनके समक्ष उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं विवेचन करते हुये तथा आरोपित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बचाव में उठाये गये मुद्दों पर विचार करने के उपरान्त ही अपना विस्तृत **Speaking** निर्णय/आदेश पारित करें।

(डॉ. एम. के. देवराजन)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2- समस्त महानिरीक्षक पुलिस मय एस.सी.आर.बी./आरपीए/पु.दू.सं. जयपुर/आर.पी.टी.सी. जोधपुर।
3- समस्त उपमहानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
5- समस्त कमाण्डेन्ट्स आर.ए.सी. बटालियन्स, राजस्थान मय आई.आर. बटालियन्स दिल्ली / एम.बी.सी. खैरवाड़ा/ पी.टी.एस. जोधपुर/किशनगढ़/खैरवाड़ा/झालावाड़/ पी.एम.डी.एस.।
6- पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

22/2

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय सहायक

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांक:- व-15 (2) (पु. वि. /ग्रुप-7/07/2570 दिनांक 18 जून, 07

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ एवं उन निर्णयों के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए सम्बंधित राजकीय अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्त की राय प्राप्त करके समय पर प्रभारी अधिकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय एवं गृह विभाग को नहीं भेजी जाती हैं। इसके कारण अनेकों ऐसे प्रकरण जिनमें पारित निर्णयों के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से आगे अपील दायर करने की कार्यवाही नियत समयावधि में नहीं हो पाती है और फलस्वरूप ऐसे निर्णयों की पालना में राज्य सरकार को अत्यधिक आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। कई ऐसे प्रकरण भी निर्णित होते हैं, जिनमें विभाग की नीतियों के आधार पर पालना किया जाना श्रेयस्कर नहीं होता किन्तु फिर भी अपील समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण ऐसे निर्णयों की भी अनुपालना करनी पड़ती है। जहाँ किसी निर्णय के विरूद्ध अपील समयावधि व्यतीत होने के बावजूद भी राज्यहित में आगे अपील किया जाना आवश्यक होता है वहाँ पर समयावधि के विलम्ब की माफी के लिए न्यायालय में मर्यादा अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसमें प्रतिदिन के विलम्ब का कारण स्पष्ट करना नियमानुसार जरूरी होता है तथा ऐसे विलम्ब का कारण पूर्णतया स्पष्ट नहीं होने पर राज्य सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण अपीलें भी विलम्ब से पेश होने के आधार पर खारिज हो जाती हैं।

राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं कि वे न्यायालय से पारित होने वाले निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निर्णय पर राजकीय अधिवक्ता की राय प्राप्त करके आवश्यक रूप से गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे। किन्तु प्रभारी अधिकारियों द्वारा इस ओर पूर्णरूपेण गौर नहीं किया जा रहा है। इसी संदर्भ में विभाग की ओर से न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त समस्त प्रभारी अधिकारियों को पुनः एतद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि जैसे ही <u>न्यायालय द्वारा उनके प्रभाराधीन किसी प्रकरण में निर्णय पारित किया जावे, उसी दिन या अगले दिवस आवश्यक रूप से न्यायालय में प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करके व्यक्तिगत रूप से न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा व राजकीय अधिवक्ता के निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए 7 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णय की प्रतिलिपि एवं उस पर राजकीय अधिवक्ता की राय प्राप्त करके पुलिस मुख्यालय एवं गृह विभाग को भिजवायेंगे।</u> इन निर्देशों की अवहेलना होने पर सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
मुख्यालय, राज0, जयपुर।

कार्यालय सहायक

राजस्थान पुलिस

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: व-15( )पु.वि./ग्रुप-7/07/4299 दिनांक 03. सितम्बर-2007

परिपत्र

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अनेकों प्रकरणों में जिनमें राज्य कर्मचारियों को विभागीय कार्यवाहियों में आपराधिक कार्यवाही के समान आरोपों पर ही जाँच करके दोषी प्रमाणित पाये जाने पर राज्य सेवा से बर्खास्त करने के दण्डों से दण्डादिष्ट किया गया हो और उसके पश्चात् आपराधिक प्रकरण में विचारण न्यायालय या आपराधिक अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया हो, को पुन: राज्य सेवा में बहाल करके सभी संगत अभिलाभ प्रदान करने के विनिश्चय पारित किये है।

मान्नीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर ऐसे निर्णय पारित किये जाते रहे है, जिसमें आपराधिक प्रकरण के समान आरोपों पर विभागीय कार्यवाही नहीं किये जाने की व्यवस्था देते हुए, ऐसी विभागीय कार्यवाहियों में पारित दण्डादेशों को निरस्त किया है।

भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिये आवश्यक है कि अनुशासनिक प्राधिकारियों को आपराधिक कार्यवाही से सम्बद्ध विभागीय कार्यवाहियों में आरोप पत्र तैयार करते समय सदैव यह ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे आरोप आपराधिक कार्यवाही में लगाये गये आरोपों के समान नहीं हो। विभागीय जाँचों में लगाये जाने वाले आरोप इस प्रकार के होने चाहिये जिनमें कर्मचारियों के विरूद्ध आचरण नियमों, संविधायी उपबन्धों, अन्य सेवा नियमों या प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन या अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा या ऐसा आशय जिसके कारण कर्मचारी का दुराचरण या दुर्भावना या अनुपयुक्त आचरण झलकता हो और जिसके आधार पर उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सके। विभागीय कार्यवाहियों में जारी की जाने वाली चार्जशीट भी स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारियों को कर्मचारी के ऐसे आचरण के आधार पर ही तैयार करनी चाहिये तथा वह आपराधिक मामलों में पुलिस विभाग या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली चार्जशीट की भाँति कदापि नहीं होनी चाहिये। उदाहरणार्थ यदि किसी पुलिस कर्मी के विरूद्ध रिश्वत लेने का आरोप हो तो वहाँ पर आरोप-पत्र में रिश्वत लेने का सीधा आरोप नहीं लगाया जावें क्योंकि ऐसा आरोप आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान योग्य होता है अपितु उसके द्वारा प्रछन्न उद्धेश्य के लिये समय पर अनुसंधान पूर्ण नहीं करने जैसा आरोप लगाया जाना चाहिये। किसी कर्मचारी द्वारा कोई अनैतिक अपराध किया गया हो वहाँ उस अपराध के तथ्यों के अनुरूप आरोप पत्र तैयार नहीं किया जाकर विभाग की छवि धूमिल करने, पुलिस जैसी सेवा में इस प्रकार का व्यवहार अवांछनीय होने आदि प्रकार के दुराचरण का आरोप लगाया जाना चाहिये।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19(1) में उपबन्धित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत भी जहाँ किसी राज्य कर्मचारी को नियमित विभागीय कार्यवाही अमल में लाये बगैर आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धी के आधार पर राज्य सेवा से पदच्युत किया जाता है और उसके पश्चात् ऐसी दोषसिद्धी को अपील में अपास्त करके कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहाँ पर भी सी.सी.ए. नियम 19 (1) के अन्तर्गत राज्य सेवा से की गई पदच्युति उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। जहाँ किसी राज्य कर्मचारी को बिना विभागीय जाँच किये ही सी.सी.ए. नियम 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सेवा से पदच्युत किया जाता है, वहाँ पर यदि ऐसा कर्मचारी फौजदारी अपील में अन्तिम अपीलीयं न्यायालय तक से भी दोषमुक्त कर दिया जावें और ऐसे निर्णयों की प्रति प्रस्तुत करके पुन: राज्य सेवा में बहाल करने का अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तो

कार्यालय सहायक
विधि [illegible] (ग्रु-7)

उन मामलों में बिना किसी विलम्ब के ऐसे राज्य कर्मचारी को पुनः राज्य सेवा में बहाल किया जाकर उसके द्वारा किये गये दुराचरण के अनुरूप विभागीय कार्यवाही में आरोप विरचित किये जाकर नियमानुसार विभागीय जाँच प्रारम्भ की जाने का विचार करना चाहिये अथवा आपराधिक दोषसिद्धी के पश्चात् पूर्व में जारी विभागीय जाँच यदि ड्रॉप या स्थगित की गई हो तो उसे उसी स्टेज से आगे प्रारम्भ करके पूर्ण की जाकर ऐसी विभागीय जाँच में कर्मचारी यदि दोषी प्रमाणित पाया जावें, तो उसके निष्कर्षो के अनुरूप ही दण्डादेश पारित किये जावे।

वादकरण पर प्रभावी नियन्त्रण एवं वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों को न्यून करने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि सेवा सम्बन्धी सभी प्रकार के न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को अपने प्रभाराधीन प्रत्येक प्रकरण का बारीकी से अध्ययन करके उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या उस प्रकरण में राज्य पक्ष की सफलता के पर्याप्त आधार है? यदि नहीं तो उन प्रकरणों पर विवादित आदेशों से सम्बद्ध अधिकारियों के साथ कानूनी व तथ्यात्मक बिन्दुओं पर सारगर्भित विचार-विमर्श करके ऐसे मामलों में प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष/अभिलाभ प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये पुलिस मुख्यालय को तत्काल लिख दिया जावें। इसके अतिरिक्त नवीन प्रकरणों में भी जैसे ही किसी अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावें उसका दायित्व बनता है कि वह मामले से सम्बन्धित रिकार्ड सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त करके तद्नुसार रिट/अपील या सिविल सूट का अध्ययन सूक्ष्मता से करके यह पता लगावे कि कर्मचारी द्वारा विवादित बिन्दुओं का कानूनी दृष्टिकोण से बचाव विभाग के पास है या नहीं? यदि नहीं तो प्रभारी अधिकारी को अविलम्ब उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यवाही करनी चाहिये। इस प्रकार का परीक्षण करते समय समान प्रकृति के मामलों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित पूर्व न्यायिक निर्णयों को भी आधार बनाना चाहिये। ऐसा करने से न केवल वादकरण पर व्यतीत होने वाले अमूल्य समय की बचत होगी अपितु वादकरण पर खर्च होने वाली बड़ी धन हानि भी बच सकेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सभी अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारियों एवं न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों से कड़ाई से करने की एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है।

(डॉ. एम.के. देवराजन)
अति. महानिदेशक पुलिस
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2- समस्त महानिरीक्षक पुलिस मय एस.सी.आर.बी./आरपीए/पु.दू.सं. जयपुर।
3- समस्त उपमहानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
5- समस्त कमाण्डेन्ट्स आर.ए.सी. बटालियन्स, राजस्थान मय आई.आर. बटालियन्स दिल्ली / एम.बी.सी. खैरवाड़ा / पी.टी.एस. जोधपुर / किशनगढ़/ झालावाड / पी.एम.डी.एस.बीकानेर।
6- पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

3/9/07
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय सहायक
[illegible] –7)

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांक:- र-9(111)पुवि/ग्रुप-7/06 / 5286 दिनांक 23 अक्टूबर, 07

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज राजस्थान/नियम/सीआईडी सीबी/आई.बी./रेल्वे/पीटीसी/आरएसी, (प्रथम/द्वितीय) राजस्थान ।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर/पीटीसी/सीआईडी सीबी/आईबी/पीटीसी, राजस्थान ।
3. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन मय आई आर दिल्ली ।

विषय:- पुलिस कानि0 भर्ती परीक्षा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 चयनित अभ्यार्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन/तथ्य छुपाने के सम्बंध में ।

...

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक 2888 दिनांक 15.5.07 के द्वारा यह लेख किया गया था कि कानि0 भर्ती प्रक्रिया 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान जिन चयनित अभ्यार्थियों के विरूद्व दर्ज मुकदमों में चालान न्यायालय में पेश किया गया है तथा चरित्र सत्यापन के दौरान भी तथ्य छुपाये गये हैं, ऐसे प्रकरणों के निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन उपरान्त ही किये जावे । राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य निर्देश इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 15.5.07 के द्वारा आपको भिजवाये जाचुके है । किन्तु काफी समय व्यतीत होजाने के उपरान्त भी आपके द्वारा इन निर्देशों की पालना कर पालना रिपोर्ट नहीं भिजवायी गयी है । जो बडे ही खेद का विषय है । अत: कृपया अब तुरंत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें ।

भवदीय,

महानिरीक्षक पुलिस (नियम),
राजस्थान, जयपुर ।

कार्यालय सहायक

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांक:- व-15(2)पु.वि./ग्रुप-7/06/ 5555 दिनांक 3 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 07

8-NOV 2007

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि अवमानना प्रकरणों में प्रभारी अधिकारीयों द्वारा जवाब/अलफनामा एवं वकालतनामा हस्ताक्षरित करवाने के लिये निर्धारित अवधि से एक दिन पूर्व ही महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, जिससे महानिदेशक पुलिस द्वारा प्रकरण का परीक्षण/अवलोकन करने में कठिनाई महसूस की जाती है ।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जैसे ही अवमानना याचिका में नोटिस न्यायालय से प्राप्त हो अथवा इस कार्यालय द्वारा समन्वयक नियुक्त किया जाकर जवाब पेश करने के निर्देश दिये जावें, उसके तुरंत पश्चात मामले से सम्बंधित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति एवं निर्णय के सम्बंध में की गई कार्यवाही का विवरण व्यक्तिशः पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होकर महानिरीक्षक पुलिस(नियम)/ उप विधि परामर्शी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करेंगें । इसी संदर्भ में यह भी लेख है कि वकालतनामा एवं अवमानना के जवाब व शपथ पत्रों को सीधे ही महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, अपितु महानिरीक्षक पुलिस(नियम) एवं उप विधि परामर्शी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से ही महानिदेशक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपिः-

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0/प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान ।
3. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उप अधीक्षक, राजस्थान ।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।। राजस्थान पुलि

क्रमांकः– व–15(2)पु0वि0/परिपत्र/ग्रुप–7/08/160 दिनांक 15 जनवरी,08

परिपत्र

न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध प्रकरणों में सामान्यतः उसी अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाय, जो प्रकरण से सीधे सम्बंधित हो ।

यदि प्रशासनिक कारणों से किसी ऐसे अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कि प्रकरण से सीधे सम्बंधित नहीं है, तो नियुक्त प्रभारी अधिकारी तथ्य को तत्काल दावा/याचिका की प्रति व पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट, जिसमें कि न्यायालय में उठाये गये बिन्दुओं के अलावा ऐसे समस्त तथ्य उपलब्ध कराये जायेंगे, जो कि दावे से सम्बंधित है तथा जिन्हे न्यायालय के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है ।

प्रभारी अधिकारी समस्त तथ्यों सहित राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब तैयार करायेंगे तथा उसकी विधिक्षा पुलिस मुख्यालय से कराकर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे ।

तथ्यों के उचित रूप से प्रस्तुत न होने के कारण यदि न्यायालय द्वारा राज्य हित के विरूद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो उसका पूर्ण दायित्व ऐसे अधिकारी का होगा,जिसके द्वारा पूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ।

प्रभारी अधिकारी को टंकण आदि के खर्चे की अग्रिम राशि तथा यात्रा भत्ता अग्रिम की राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जावे।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(मुख्यालय),राजस्थान,जयपुर ।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,राजस्थान
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
3. निदेशक,एस0सी0आर0बी0,/आर0पी0ए0/पुलिस दूर संचार/एफ0एस0एल0।
4. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस,राजस्थान ।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,मय जी0आर0पी0,अजमेर/जोधपुर ,केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त कमाण्डेन्ट,आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन ।
7. प्रधानाचार्य,आर0पी0.टी0सी0,जोधपुर ।
8. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
9. समस्त कमाण्डेन्ट,पीटीएस,राजस्थान,मय एस0टी0एस0,जयपुर/पी0एम0डी0एस0 बीकानेर ।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,विधि मामलात,राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर/जोधपुर।

राजस्थान पु

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर //

क्रमांकः-प-15(2)पु. वि./परिपत्र/गुप-7/2008/ 1965 दिनांक 28 अप्रेल, 08

परिपत्र

यह ध्यान में लाया गया है कि कईबार विभाग में कार्यरत उप विधि परामर्शी, के पास विधिक राय हेतु पत्रावलियां बिना उच्च स्तर से अनुमति लिए प्रेषित की जाती है ।

इस विषय में यह निर्देशित किया जाता है कि विधिक राय हेतु प्रेषित समस्त पत्रावलियां सम्बन्धित अतिरिक्त महानिदेशक के माध्यम से प्रेषित की जाए अथवा जो भी पत्रावली विधिक राय हेतु प्रेषित की जा रही है । उस विषय में सम्बन्धित अतिरिक्त महानिदेशक महोदय, की सहमति प्राप्त कर ही पत्रावली प्रेषित की जावें ।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(1) समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
(2) समस्त महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
(3) समस्त पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।

महानिरीक्षक पुलिस (नियम)
राजस्थान, जयपुर ।

|| कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ||

राजस्थान पुलिस

क्रमांकः–व–15(2)पु0वि0/ग्रुप–7/ 08/2235 दिनांक 12 मई,08

परिपत्र

1. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस,राजस्थान ।
2. महानिरीक्षक पुलिस,सी0आई0डी0(सी0बी0), आर0ए0सी0/रेल्वेज/पुलिस दूरसंचार,राज0,जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस,प्रशिक्षण/सीआईडी(इन्टे0)राज0,जयपुर।
4. निदेशक,आरपीए/पुलिस अधीक्षक,एस0सी0आर0बी0/ पुलिस सतर्कता,राजस्थान,जयपुर ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,राजस्थान ।

विषयः– राज्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर व्यक्तिगत इस्तगासों/शिकायतों में पैरवी की व्यवस्था के सम्बंध में ।

...

राजकीय कार्य करते हुए फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कई बार विभिन्न अदालतों में प्राइवेट इस्तगासों के माध्यम से अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है, जिनका प्रतिरक्षण संबंधित लोक सेवक अपने स्तर पर करते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार जब किसी लोक सेवक को बदनाम किया जाता है तो मानहानि की कार्यवाही भी संबंधित लोक सेवक अपने स्तर पर करता है । इससे न केवल संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का अनावश्यक व्यक्तिगत खर्चा होता है, बल्कि पुलिस के मनोबल पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है ।

इस सम्बंध में राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के मेन्युअल–1999 में विस्तृत प्रावधान दिये हुए हैं, जिनकी प्रतिलिपि समस्त की जानकारी के लिए संलग्न है । इन प्रावधानों के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) राज्य सरकार, राज्य कर्मचारी के प्रार्थना पत्र पर यदि यह उचित समझती है कि पैरवी हेतु संबंधित कर्मचारी की मानहानि होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोजन उचित है तो ऐसे प्रकरण में उसे राज्य सरकार की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तथा ऐसे प्रकरण में लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि इस आशय का प्रार्थनापत्र सम्बंधित राज्य कर्मचारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अथवा विभागाध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । (नियम 90)

(2) यदि राज्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के कारण, जो कि उसके द्वारा राज्य कार्य के निर्वहन में किया गया हो, न्यायालय में अभियोजन संस्थित किया जाता है तो प्रतिरक्षण का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । किन्तु यह तभी होगा जबकि संबंधित कार्य विधि सम्मत हो अथवा संबंधित कर्मचारी उपयुक्त सावधानी रखते हुए यह विश्वास करे कि उसका कार्य विधि सम्मत है । इस प्रावधान की पूर्वापेक्षा यह है कि :–

(क) राज्य कर्मचारी का कार्य पूर्णतया विधि के अनुरूप हो, अथवा

(ख) राज्य कर्मचारी का कार्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 से 79 के तहत अपवादों के अन्तर्गत आता हो ।

कार्यालय सहायक

क्र. पृ. 3

(3) यदि उक्त प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिरक्षण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व पर अपने खर्चे से प्रतिरक्षण की व्यवस्था करेगा, लेकिन यह प्रतिरक्षण उसके सामान्य राज्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि न्यायालय से प्रकरण का अंतिम निर्णय राज्य कर्मचारी के पक्ष में होता है तो राज्य सरकार प्रतिरक्षण के ऐसे व्यय को जिसे वह उचित समझे, साधारणतया पुनर्भरण करेगी । (नियम 93)

राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

(1) लोक सेवक के विरूद्ध राजकीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के समय किए गए कृत्य के संबंध में यदि किसी न्यायालय में कोई इस्तगासा पेश होता है तो संबंधित लोक सेवक ऐसी सूचना अपने नियंत्रक पुलिस अधीक्षक को देगा तथा यदि राज्य सरकार की ओर से प्रतिरक्षण अपेक्षित है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र भी पुलिस अधीक्षक को देगा ।

(2) प्रार्थना पत्र प्राप्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस अधीक्षक प्रकरण के तथ्यों की जांच कर अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी से जांच करवाकर संतुष्ट होगा कि आवेदनकर्ता का कृत्य नियमानुसार इस योग्य है कि राज्य सरकार उसकी ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही करे। ऐसा होने पर पुलिस अधीक्षक पूर्ण प्रकरण राज्य सरकार की विधिक सहायता हेतु अपनी अनुशंषा के साथ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा ।

(3) पुलिस अधीक्षक से उपरोक्त अनुशंषा प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण किया जाएगा तथा संतुष्टि होने पर कि प्रकरण में राज्य सरकार की विधिक सहायता नियमानुसार संबंधित लोक सेवक को दिया जाना उचित है, प्रकरण मुख्यालय की अनुशंषा के साथ गृह विभाग को प्रेषित किया जाऐगा।

(4) इसी प्रकार यदि लोक सेवक अपनी मानहानी के संबंध में धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, राज्य सरकार की विधिक सहायता से कार्यवाही करना चाहता है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र अपने नियन्त्रक पुलिस अधीक्षक को देगा, जो आवश्यक जांच इत्यादि यके आधार पर अपनी अनुशंषा के साथ प्रकरण को पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा तथा पुलिस मुख्यालय उचित संतुष्टि के पश्चात मानहानि प्रकरण में विधिक सहायता हेतु गृह विभाग को प्रेषित करेगा ।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।

कार्यालय सहायक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– व–15(1)पुलिस विधि / ग्रुप–7 / 08 / 4004 दिनांक 04 अगस्त,08

परिपत्र

वर्तमान में (धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता तथा न्याय की प्राप्ति हेतु प्राप्त होने वाले नोटिसों पर विधि शाखा द्वारा सम्बंधित कार्यालय / शाखा से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त कर) परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षण के पश्चात (सम्बंधित कार्यालय / शाखा को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुझाव दिये जाते हैं ।

भविष्य में धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता अथवा न्याय प्राप्ती हेतु नोटिस प्राप्त होने पर उसे तत्काल सम्बंधित कार्यालय / शाखा को प्रषित किया जाए । सम्बंधित कार्यालय / शाखा द्वारा उसका परीक्षण कर नोटिस के क्रम में कोई अनुतोष देय है अथवा नहीं सुनिश्चित कर देय अनुतोष प्रदान किया जाए ।

नोटिस दाता को की गई कार्यवाही से पूर्ण विवरण सहित अवगत कराया जाए ।

विधि शाखा को प्रकरण तभी संदर्भित किया जाए, जबकि नोटिस के परीक्षण में किसी विधिक मत की आवश्यकता हो । विधि शाखा को संदर्भ प्रेषित करते समय विधिक मत का संदर्भ स्पष्ट रूप से दिया जाए, जिसका परीक्षण विधि शाखा से अपेक्षित है ।

भवदीय,

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
पुलिस मुख्यालय, राज0,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त पुलिस, राजस्थान ।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
4. निदेशक, एस0सी0आर0बी0 / आर0पी0ए0 /
5. समस्त पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी, राजस्थान ।
6. कमाण्डेन्ट, पी0टी0एस0, किशनगढ़ / आर0पी0टी0सी0, जोधपुर / एम0बी0सी0, खेरवाडा ।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर ।

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप–7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान पुलिस (16)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
राजकीय वादकरण

क्रमांक एफ 15 (6) राज/वाद/01 जयपुर, दिनांक 21-7-2008

:::-- परिपत्र --:::

प्रशासनिक विभागों के प्रभारी अधिकारियो द्वारा राजकीय अधिवक्तागण को फोटो स्टेट चार्जेज को छोड़कर डिक्टेशन, टाईपिंग, फाईलिंग व अन्य विविध खर्चो को शामिल करते हुये प्रति--प्रकरण देय राशि की दरें वित्त विभाग के परामर्श से एतदद्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :--

क्र. सं.	अधिवक्ता की श्रेणी	राजकीय अधिवक्ताओं को प्रति प्रकरण देय राशि जिसमें, फोटो स्टेट चार्जेज को छोड़कर, डिक्टेशन,फाईलिंग, टाईपिंग व अन्य विविध खर्चे शामिल हैं।
1	महाधिवक्ता,	600/--रूपये,प्रति प्रकरण
2	अति0 महाधिवक्ता	500/--रूपये,प्रति प्रकरण
3	राजकीय अधिवक्ता/अति0 राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेंट काउन्सिल	400/--रूपये,प्रति प्रकरण
4	डिप्टी/सहायक राजकीय अधिवक्ता/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल	300/--रूपये,प्रति प्रकरण
5	लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/गवर्नमेंट प्लीडर/ एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर	300/--रूपये,प्रति प्रकरण

अन्य शर्तें :--

1. उपरोक्त भुगतान संबंधित अधिवक्तागण को उक्त सीमा के अनुरूप देय होंगे तथा उक्त राशि के अलावा डिक्टेशन,टाईपिंग,फाइलिंग और अन्य समस्त प्रकार के विविध खर्चे पृथक से अनुज्ञेय नहीं होंगें।
2. प्रशासनिक विभाग के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित अधिवक्तागण को भुगतान की जाने वाली राशि का बिल प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार कार्यालय से राशि प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात चुकायी गई राशि की रसीद उनसे प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
3. फोटो स्टेट प्रतिलिपि कराने का भुगतान, पूर्व की भांति, संबंधित प्रशासनिक विभाग के द्वारा कार्यालय व्यय मद से किया जावेगा।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ.15(6) राज/वाद/2001 दिनांक 29.07.2002 को अतिलंघित किया जाता हैं।

यह परिपत्र वित्त (व्यय--2) विभाग की आई. डी. क्रमांक 103, दिनांक 12.06.2008 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

आज्ञा से

21.7.08

संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक
(राजकीय वादकरण)

लगातार

what does it imply
29/7/08 30/7 D.R

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप-7)
पुलिस मुख्यालय

राजस्थान पुलि

(17)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।
3. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
4. वित्त (व्यय–2)विभाग को उनकी आई.डी. संख्या–103,दिनांक 12.6.08 के संदर्भ में।
5. रक्षित पत्रावली।

21/7/08

संयुक्त विधि परामर्शी एवं अपर निदेशक
(राजकीय वादकरण)

// कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर //

क्रमांकः–व–15(1)पुलिस–विधि/ग्रुप–7/08/ 4511 दिनांक 8 अगस्त, 08

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।

(2) समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, ।

(3) निदेशक, एस0सी0आर0बी0/आर0पी0ए0/पी0टी0सी0 ।

(4) समस्त पुलिस अधीक्षक /कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0राजस्थान ।

(5) कमाण्डेन्ट, पी0टी0एस0 किशनगढ़/आर0पी0टी0सी0 जोधपुर/एम0बी0सी0, खेरवाड़ा/पी0एम0डी0एस0बीकानेर ।

निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधिनस्थ समस्त प्रभारी अधिकारियों को सूचित करते हुए उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें ।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप–7)
पुलिस मुख्यालय

राजस्थान पु[illegible]

18

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस,राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांक:– व–15(1)पु0वि0/परिपत्र/ग्रुप–7/08/4925 दिनांक29 अगस्त,08

32

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक व–15 (2) पु0वि0/परिपत्र/ग्रुप–7/08/160 दिनांक 15 जनवरी 2008 के द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारियों को राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब तैयार कराने तथा जवाब दावे का पुलिस मुख्यालय से परीक्षण कराने के उपरान्त ही न्यायालयों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। पुलिस मुख्यालय की जानकारी में ऐसे कई प्रकरण आये हैं, जिनमें प्रभारी अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय से परीक्षण कराये बगैर ही जवाब दावे सीधे ही न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिया। पुलिस मुख्यालय से जवाब दावों के परीक्षण के अभाव में राज्य का पक्ष समुचित रूप से नहीं प्रस्तुत होने तथा राज्य के विरूद्ध निर्णय पारित होने की आंशका बनी रहती है।

अतः अपने अधीनस्थ समस्त प्रभारी अधिकारियों को भविष्य में सभी रिट याचिकाओं का जवाब पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण पश्चात ही न्यायालय में पेश करने के एक बार पुनः निर्देश देवें। साथ ही अधिकारियों की मीटिंग/क्राईम मीटिंग आदि में भी अधिकारियों को इस सम्बंध मे सम्बोधित किया जावे।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, एस0सी0आर0बी0/आर0पी0ए0/पुलिस दूर संचार, राज0 जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन।
6. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्तय पुलिस अधीक्षक,राजस्थान।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, पी0 टी0 एस0, राजस्थान, मय एस0 टी0 एस0, जयपुर/पी0 एम0 डी0 एस0, बीकानेर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विधि मामलात, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

कार्यालय सहायक

विधि प्रकोष्ठ (ग्रुप–7)

।।कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः–व–15 (2) पु0 विधि/ग्रुप–7/08/5375 दिनांक 16 सितम्बर,08

33

परिपत्र

प्रायः यह देरवने में आया है कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय/आदेश पारित किये जाने पर उसके विरूद्ध अपील/रिट/एस0एल0पी0 दायर करने बाबत नियमानुसार प्रशासनिक निर्णय अपेक्षित होते हुऐ भी नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा उस निर्णय की क्रियान्विति अपने स्तर पर ही कर ली जाती है जो नियम विरूद्ध है ।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं, कि न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय/आदेश पारित किये जाने कि अवस्था में निर्णय/आदेश की प्रति शीघ्र प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ इस कार्यालय को भिजवायें तथा निर्णय की क्रियान्विति पूर्व ऐसे निर्णय/आदेशों के विरूद्ध नियमानुसार अपील नहीं करने के प्रशासनिक निर्णय का इंतजार किया जावे। विधि विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ (24) राज/वाद /91 पार्ट, दिनांक 31/01/08 (प्रति संलग्न) मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप ऐसे निर्णय/आदेशों की नियमानुसार क्रियान्विति की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति. पुलिस महानिदेशक(मुरव्यालय)
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त पुलिस अधिक्षक/कमाण्डेन्ट/ आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन/ प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
3. समस्त अति0 पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उप अधीक्षक, राजस्थान।

पुलिस महानिरीक्षक (नियम)
राजस्थान,जयपुर।

राजस्थान पुलिस 10

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 15 (6) राज/वाद/01 जयपुर, दिनांक 16-6-09 (20)

—:: परिपत्र ::—

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ हेतु फोटो स्टेट चार्जेज, डिक्टेशन, टाईपिंग, फाइलिंग एवं अन्य विविध व्यय हेतु प्रशासनिक विभाग के प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रमाणित बिल के आधार पर **अधिकतम भुगतान अधोवर्णित दर पर अनुज्ञेय होगा :—**

1. डिक्टेशन एवं टंकण चार्जेज — 22/—रू प्रति पृष्ठ।
2. फोंटो स्टेट चार्जेज — प्रति पृष्ठ 1/— रू.।
3. फाइलिंग एवं विविध चार्जेज :—

क्र. सं.	मद	अधिकतम देय राशि रूपयों में
1.	वकालतनामा (मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क के स्टॉम्प्स)	50.00
2.	फाइल कवर, लैरा आदि	50.00
3.	शपथ पत्र प्रमाणीकरण आदि	30.00
4.	निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति	100.00
5.	अन्य	20.00
	कुल योग	250.00

अधीनस्थ न्यायालयों में दरें विधि विभाग के परिपत्र दिनांक 21.07.08 के अनुसार निम्नानुसार देय होंगी।

क्र. सं.	अधिवक्ता की श्रेणी	अधिकतम देय राशि रूपयों में
1.	लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक /गवर्नमेन्ट प्लीडर/एडिशनल गवर्नमेन्ट प्लीडर	300.00 प्रति प्रकरण

(फोटो स्टेट प्रतिलिपि कराने का भुगतान पूर्व की भांति संबंधित प्रशासनिक विभाग के द्वारा कार्यालय व्यय मद से किया जावेगा)।

1. **विद्वान अधिवक्ता राज्य हित मे यह सुनिश्चित करेंगे कि टाइपिस्ट/लिपिक, प्रभारी अधिकारी से निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग नही करें।**

लगातार

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप-7)
पुलिस मुख्यालय

2. प्रशासनिक विभाग के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह भुगतान की जाने वाली राशि का बिल प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यालय से राशि प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात् चुकाई गई राशि की रसीद प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

यह परिपत्र वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. क्रमांक – 330900046 /एफ.डी/ई–5 दिनांक 03.06.09 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

आज्ञा से,

संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक,
(राजकीय वादकरण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।
3. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
4. वित्त (व्यय–2) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या–330900046/एफ.डी/ई–5 दिनांक 03.06.09 के सन्दर्भ में।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त विधि परामर्शी एवं अपर निदेशक,
(राजकीय वादकरण)

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रा–7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–व–15(1) पु0 विधि / ग्रुप–7 / 08 / 5146 दिनांकः–27 जुलाई 09

1.समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2.निदेशक आर0पी0ए0 / एस0सी0आर0बी0 /
पुलिस दूरसंचार / एफ0एस0एल0 जयपुर
एवं प्रधानाचार्य आर0पी0टी0सी0 जोधपुर।
3.समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4.समस्त कमाण्डेन्ट आर0ए0सी0 / एम0बी0सी0 /
प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

विषयः– न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– गृह विभाग का पत्र क्रमांक प–23(105)गृह–10 / 2009
दिनांक 10 / 07 / 09

महोदय,

विधि विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक प.12(9)राज / वाद / 07 पार्ट–5 दिनांक 28.04.09 द्वारा निर्देशित किया गया है कि लम्बित प्रकरणों में राजकीय कॉन्सिल को प्रभारी अधिकारीगण द्वारा समस्त पत्रावलियां समय पर उपलब्ध करवाई जावे ताकि वे राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से न्यायालय के समक्ष रख सके एवं प्रभारी अधिकारीगण राजकीय कॉन्सिल से सामंजस्य बनाये।

साथ ही विधि विभाग नें अपने परिपत्र क्रमांक प. 12(9)राज / वाद / 07 पार्ट दिनांक 28.04.09 द्वारा यह भी निर्देश दिये है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर में विभाग के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों की समस्त पत्रावलीयां प्रशासक वादकरण जयपुर / जोधपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विधि विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक एफ.12(9) राज0 / लिटी. / 07 पार्ट–5 दिनांक 11.05.09 द्वारा यह भी निर्देश दिये है कि इन्टरनेट पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर की वेबसाईड (http://causelists.nic.in/jai s/indexI.html
http://causelists.nic.in/jodh/indexI.html) पर प्रभारी अधिकारीगण प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई तिथी ज्ञात कर सुनवाई तिथी से एक दिवस पूर्व राजकीय कॉन्सिल से पूर्ण विवरण / अभिलेख के साथ सम्पर्क करे

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके अधिनस्थ समस्त प्रभारी अधिकारीगण को निम्न प्रकार निर्देशित किया जावेः–

1. कि वे उनके पास विचाराधीन प्रकरणों में राजकीय अधिवक्ता / गर्वनमेंन्ट कॉन्सिल से सामंजस्य बनाये रखे ताकि प्रकरणों में यथा समय समुचित कार्यवाही हो सके एवं राज्य सरकार के विरूद्ध पारित निर्णयों की अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत ना हो ताकि अवमानना कार्यवाही का सामना ना करना पडे।

2. कि विभाग के विरूद्ध लम्बित जिन प्रकरणों की पत्रावलियां प्रशासक वादकरण जयपुर / जोधपुर के यहां उपलब्ध नहीं कराई गई है उन्हें 15 दिवस में नवीनतम सूची के साथ उपलब्ध करावें तथा प्रभारी अधिकारीगण से यह प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें कि विभाग के विरूद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर के समक्ष लम्बित किसी भी प्रकरण की पत्रावली प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर कार्यालय में खुलवाई जानी शेष नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र की पुष्टि प्रभारी अधिकारीगण प्रशासक वादकरण से करवाकर ही इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। नये प्रकरणो में न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात तत्काल नोटिस व याचिका की प्रति प्रशासक वादकरण को उपलब्ध करवाकर उनके कार्यालय की पत्रावली खुलवाई जाने हेतु प्रभारी अधिकारीगण को आपके स्तर से पाबन्द किया जावे।

कार्यालय सहायक

3. समस्त प्रभारी अधिकारीगण को पाबन्द करें कि वे माननीय राज0 उच्च न्यायालय की उक्त वेबसाईड से प्रकरण की सुनवाई तिथि ज्ञात कर सुनवाई तिथि के एक दिवस पूर्व राजकीय कॉन्सिल से पूर्ण विवरण व अभिलेख के साथ सम्पर्क करें। इस हेतु समुचित निर्देश प्रदान करें राजकीय कॉन्सिल को अवमानना प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर राजकीय कॉन्सिल को आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समन्वयक को विशेष रूप से पाबन्द किया जावे ताकि अवमाननाकर्ताओं की ओर से न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

ध्यान रहे राजकीय वादकरण के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय राज0 सरकार के अनुमोदन पश्चात विधि विभाग द्वारा उक्त निर्देश जारी किये गये हैं। अतः इनकी पालना कडाई से सुनिश्चित कराई जावें।

2.7.09

महानिरीक्षक पुलिस (नियम),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक वादकरण, विधि विभाग राज0 सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह एवं संयुक्त विधि परामर्शी, गृह(ग्रुप–10) राज0 सरकार जयपुर।
3. शासन उप सचिव, गृह(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर।

उप विधि परामर्शी
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपु

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप–7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान पुलिस (24)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः–व–15(2)पु0 विधि/ग्रुप–7/08/ 429 दिनांकः–28 जनवरी, 2010

परिपत्र

राज्य कार्य करने के समय किए गए कृत्यों के सम्बंध में विभिन्न न्यायालयों में पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध व्यक्तिगत इस्तगासे दायर किए जाते हैं।

इस प्रकार के प्रकरणों में प्रतिरक्षण हेतु राज्य की और से अभिभाषक नियुक्त कराने के प्रावधानों को उल्लिखित करते हुए दिशा निर्देश दिनांक 12–5–2008 को जारी किए गए थें, किन्तु यह देखने में आया है कि इन प्रावधानों के अन्तर्गत अभिभाषक नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे नियुक्ति बाबत प्रकरण उचित रूप से निस्तारित नहीं होता है।

अतःप्रतिरक्षण हेतु राज्य के व्यय से अभिभाषक नियुक्ति हेतु निम्न प्रपत्र संलग्न किए जाने चाहिये।

1. नियंत्रण अधिकारी की पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी कि कर्मचारी का कृत्य पूर्णतया विधि अनुरूप है तथा राज्य कर्मचारी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 से 79 के प्रावधानों के अन्तर्गत है।
2. इस्तगासे की प्रति तथा उस पर नियंत्रक अधिकारी की पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी।
3. साक्षियों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों का विवरण जो उस घटना से सम्बंधित है।

पुलिस अधकारी/कर्मचारी का पूर्ण प्रकरण अपने रेंज महानिरीक्षक पुलिस के माध्यम से महानिरीक्षक पुलिस, सी0आई0डी0(सी0बी0) को प्रेषित किया जाएगा, जंहा से प्रकरण गृह विभाग को प्रेषित कर विधि विभाग से प्रतिरक्षण हेतु अभिभाषक की नियुक्ति कराई जाएगी।

C:\Documents and Settings\m\My Documents\Rajendera.doc

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप–7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान पुलिस 25

कार्यालय शासन सचिव
वित्त विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 922
दिनांक 18/2/x

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प. 6 (22) प्र.सु./अनु.3/2000 जयपुर, दिनांकः 10.2.2010

वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

:: आज्ञा ::

आवक संख्या 577
दिनांक 12.2.2010

माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 नवम्बर 2008 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों से संबधित प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/ आदेशों के परीक्षण हेतु अधिकारीगण की एक स्थायी समिति का गठन किया जाना है जो कि पारित निर्णयों/आदेशों का परीक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर करके उसके कियान्वयन करने अथवा निर्णयों/आदेशों के विरूद्व अपील दायर करने हेतु स्पष्ट सिफारिश करेगी। यदि परीक्षण के दौरान उक्त समिति की राय में निर्णय/आदेश में कोई गम्भीर विधिक या नीतिगत प्रश्न निहित है तथा जिसकी पालना से राजकोष से भारी भुगतान करना होगा या निर्णय सरकार की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता हो अथवा निर्णय अन्यथा रूप से अस्वीकार किये जाने योग्य है तो ऐसी स्थिति में उक्त समिति निर्णय के विरूद्व अपील दायर करने की अनुशंषा करेगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश कंमाक प. 6 (22) प्र.सु./अनु/3/2000 दिनांक 09.08.2000 के तहत गठित प्री–लिटिगेशन कमेटी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयों का परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका कियान्वयन करने अथवा अपील दायर करने हेतु स्पष्ट सिफारिश करने एवं यदि परीक्षण के दौरान उक्त समिति यह समझती है कि निर्णय में कोई गम्भीर या नीतिगत प्रश्न निहित है जिससे राजकोष से भारी भुगतान करना होगा, तब ऐसी स्थिति में उक्त समिति को अधिकरण के निर्णय के विरूद्व रिट याचिका दायर करने की अनुशंषा करने का दायित्व सौंपा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्व अपील योग्य मामलों में अपील करने का अधिकार कतिपय मामलों में संबंधित विभाग को सौंपा हुआ है, अतः किसी प्रकरण में अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में विभागीय स्तर पर निर्णय करने हेतु संबंधित विभागों के सहयोग के लिए उपरोक्त वर्णित प्री–लिटिगेशन समिति के समान ही एक स्थाई कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

लगातार........

राजस्थान पुलिस 26

अतः राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयों की समीक्षा किये जाने हेतु उपरोक्त गठित कमेटी के कार्य क्षेत्र एवं उददेश्य तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में प्रस्तावित समिति के कार्यों एवं उददेश्यों में उपरोक्त वर्णनानुसार तात्विक रूप से समानता होने के कारण प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 09.08.2000 के द्वारा गठित समिति का नामकरण प्री–लिटिगेशन एवं विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत करने के मामलों की मोनेटरिंग कमेटी **(Pre litigation committee and the commmittee for monitoring the cases for** filing of appeals in each department) किया जाकर इसका निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता है :–

1.	संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा नामित संयुक्त विधि परामर्शी स्तर का अधिकारी–	सदस्य
3.	शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग (यदि मामला सेवा से संबंधित हो)	सदस्य
4.	शासन उप सचिव, वित्त (नियम) विभाग (यदि मामला वित्त से संबंधित हो)	सदस्य
5.	संबंधित विभाग का उप सचिव/लिटिगेशन इंचार्ज /नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी के निम्न कार्य होंगे :–

1. यह कमेटी राज्य स्तरीय स्थाई समिति होगी। इसकी नियमित बैठकें होगी।
2. यह समिति धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस या डिमाण्ड ऑफ जस्टिस के नोटिस प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लेगी। समिति द्वारा निर्णय, नोटिस के लिए विहित वैधानिक अवधि में लिया जावेगा तथा नोटिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 570/2007 सलेम बार एसोशियेन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण विचार कर निर्णय लिया जावेगा तथा उक्त निर्णय की पालना में नियुक्त नोडल ऑफिसर को तदनुसार नोटिसदाता को उत्तर देने के लिए निर्देशित किया जावेगा।
3. यह समिति राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों का परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका

कृ0पृ0उ0

क्रियान्वयन करने अथवा निर्णय के विरूद्व अपील दायर करने हेतु स्पष्ट सिफारिश करेगी।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों पर उक्त कमेटी द्वारा विचार किया जावेगा तथा निर्णयों/आदेशों के विरूद्व अपील/विशेष अनुमति याचिका करने अथवा नहीं करने की अनुशंषा करेगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति का कार्य क्षेत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले निर्णयों/आदेशों का परीक्षण कर अपील करने अथवा नहीं करने की अनुशंषा तक सीमित रहेगा। जिन मामलों में अपील/विशेष अनुमति याचिका दायर करने अथवा नहीं करने के अन्तिम निर्णय का अधिकार विधि विभाग में निहित है, वह पूर्ववत ही रहकर किसी भी प्रकार अन्यथा रूप से प्रभावित नहीं होगा।

6. समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व उस विभाग का होगा जिससे संबंधित उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

7. विधि विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।

8. संबंधित विभाग का यह दायित्व होगा कि निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर दस दिवस से अनाधिक समय में मीटिंग आहूत कर कमेटी की अनुशंषा प्राप्त करना सुनिश्चित करे। विलम्ब का उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी का होगा।

आज्ञा से

10.2.010

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

कृ0पृ0उ0

कार्यालय सहायक
विधि विभाग (ग्रुप-7)

6. संयुक्त विधि परामर्शी, एवं निदेशक राजकीय वादकरण, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
10. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग ([illegible]-7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः–र–9(34)पु0 विधि/ग्रुप–7/97/1120 दिनांकः– 2/03/2010

परिपत्र

एस.बी. सिविल रिट संख्या 648/97 श्री नारयण सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में आपराधिक कृत्य के किये जाने के क्रम में जारी आरोप पत्र पर आवश्यक जाँच उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सेवामुक्ति का दण्डादेश दिया गया था।

उक्त दण्डादेश को इस आधार पर चुनौति दी गई, कि आपराधिक कार्यवाही में न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, इस कारण अनुशासनिक कार्यवाही में पारित दण्डादेश निरस्त योग्य है।

माननीय उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुये यह माना है कि आपराधिक प्रकरणों में सन्देह का लाभ देकर यदि अभियुक्त को बरी किया गया है उक्त मामलों में अनुशासनिक अधिकारी फौजदारी प्रकरणों के विनिश्चय से अलग विनिश्चय मत व्यक्त करने हेतु अग्रसर हो सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में उक्त परिस्थितियों को देखते हुये अनुशासनिक प्रकरणों को निस्तारित करने में उक्त सिद्धान्त का अनुसरण करने के तथ्य को ध्यान में रखकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करें।

महानिरीक्षक पुलिस, (नियम)
पुलिस मुख्यालय राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त महानिदेशक पुलिस, राज्य........................
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस,/ निदेशक, आर.पी.ए./एस.सी.आर.बी./पी.टी.सी./एफ. एस.एल. राजस्थान जयपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
6. समस्त पुलिस उप अधीक्षक, राजस्थान।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0,/एम.बी.सी./हाडी रानी बटालियन/मय आई0आर0 बटालियन/प्रशिक्षण केन्द्र राज0 जयपुर।

महानिरीक्षक पुलिस, (नियम)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– र–9(।)पुलिस विधि / ग्रुप–7 / 09 / 2010 दिनांकः–15 अप्रेल, 010

परिपत्र

ऐसा ध्यान में आया है कि अवमानना प्रकरणों में नियुक्त समन्वयकों द्वारा उचित समय पर कार्यवाही न किए जाने के कारण विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कई बार न्यायालयों द्वारा प्रतिकूल निर्देश / टिप्पणी की जाती है। इसी क्रम में उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में अवमानना याचिका संख्या 219 / 2007 दायर की गई। इस अवमानना याचिका में दिनांक 16.2.2010 को यह आदेश प्रदान किए गए कि महानिरीक्षक पुलिस एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा पालना न करने की स्थिति में दिनांक 29.3.2010 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

इस प्रकरण में वर्तमान में खण्ड पीठ के समक्ष अपील लम्बित है, यह तथ्य न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया। मुख्यालय के दूरभाष पर सूचना प्राप्त करने पर समन्वयक ने यह अवगत कराया कि प्रकरण में आगामी पेशी ज्ञात नहीं है जबकि दिनांक 16.2.2010 को ही 24.3.2010 की सुनवाई तिथी नियत की जा चुकि थी। समन्वयक पुलिस मुख्यालय में दिनांक 23.3.2010 को पत्रावली लाये, जो अत्यन्त शोचनीय है।

अतः अवमानना प्रकरणों में प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु यह निर्देश दिए जाते हैं कि समन्वयक अधिकारी सुनवाई तिथी पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा पेशी पर होने वाली कार्यवाही की सूचना उसी दिन फैक्स से पुलिस मुख्यालय में प्रेषित करेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में न्यायालय से विपरीत निर्णय होने का पूर्ण उत्तरदायित्व समन्वयक अधिकारी का ही होगा।

/

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

Tel- 0141-2602807
Fax-0141-2602807
Email- dlrphq20@yahoo.in

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, आरपीए / एफएसएल / एसीआरबी / पुलिस दूरसंचार।
3. प्रिंसिपल आरपीटीसी, जोधुपर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर / जोधपुर।
5. समस्त कमाडेन्ट आरएसी मय आई.आर. बटालियन नई दिल्ली / प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप–7)
पुलिस मुख्यालय

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः–व–15(1)पु0वि0 / ग्रुप–7 / 2009 / 2792 दिनांकः– 10 मई, 2010

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग(राजकीय वादकरण), राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या व.नि.स./निदे./वाद/09/529 दिनांक 1/4/2010 एवं शासन उप सचिव(अपील) के पत्रांक प–7(33) गृह–11/09 दिनांक 6/4/2010 द्वारा न्यायिक प्रकरणों के मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरणों में निर्णय लिये जाने के पश्चात सम्बंधित प्रभारी अधिकारियों द्वारा निर्णय के विरूद्व अपील किये जाने हेतु न्यायालय के निर्णय की प्रति व राजकीय अधिवक्ता की राय समय पर नहीं भेजे जाने को गम्भीरता से लिया है।

अतः भविष्य में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने के पश्चात न्यायालय के निर्णय की प्रति मय राजकीय अभिभाषक की राय के अविलम्ब पुलिस मुख्यालय में भिजवाये जाने हेतु आपके अधिनस्थ समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें।

यह भी ध्यान में लाया गया है कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों के जवाब दावा समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाते है। समय पर जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में माननीय न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध पारित होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने के एक माह में जवाब दावा भी प्रस्तुत कराये जाने हेतु भी निर्देशित करें।

भवदीय,

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, आर0पी0ए0 / एफ0एस0एल0 / एस0सी0आर0बी0 / पुलिस दूर संचार।
3. प्रिंसिपल, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी0आर0पी0 अजमेर / जोधपुर।
5. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन, नई दिल्ली / प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय सहायक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजसथान, जयपुर।।

क्रमांकः– र–9(59)पु0वि0/ग्रुप–7/2010/4350-56 दिनांक 20-7-2010

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या व–15(1)पुलिस विधि/परिपत्र/ग्रुप–7/08/4925 दिनांक 29.8.08 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब दावा तैयार कराने के पश्चात पुलिस मुख्यालय से परीक्षण कराये जाने के पश्चात ही न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें।

उपरोक्त निर्देश दिये जाने के बावजूद भी ऐसे कई प्रकरण पुलिस मुख्यालय की जानकारी में आये है, जिनमें प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाब का परीक्षर्ण पुलिस मुख्यालय से कराये बिना ही जवाब न्यायालय में सीधे ही प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये जावें कि भविष्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले जवाब बिना पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करें, अन्यथा विपरिंत स्थिति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, आर0पी0ए0,/एस0सी0आर0बी0/पुसिस दूर संचार, राजस्थान।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन/एम0बी0सी।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, पी0टी0एस0 राजस्थान मय एस0टी0एस0, जयपुर/पी0एम0डी0एस0 बीकानेर।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

कार्यालय सहायक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः—र—9(146)पु0वि0 / ग्रुप—7 / 08 / 5091 दिनांक 13 अगस्त,10

परिपत्र

यह देखने में आया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्ड मिलने के उपरान्त विभाग के कर्मचारी माननीय न्यायालयों में रिट याचिका दायर कर relief की मांग करते है। हाल ही में एक ऐसे प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में दिये गये निर्णय का विवरण निम्न प्रकार है:—

इस सम्बंध में श्री रण सिंह कानि0 को उसके द्वारा किये गये दुष्कृत्य के लिए उसे आरोपित किया गया था। आरोप निम्नलिखित है:—

आरोप संख्या 1— आप श्री बलबीर सिंह, आर0टी0 कानि0 नं0 6091 एवं श्री रण सिंह कानि0 नं0 6095 वर्ष 1997 में आर0टी0 कानि0 के पद पर पुलिस लाईन जयपुर शहर में पदस्थापित थे। जंहा से दिनांक 10.6.97 को रात्रि समय 2.00 ए0एम0 पर आपने व श्री रण सिंह, आर0टी0 कानि0 नं0 6095 से पी0टी0एस0 बैण्ड यज्ञ भवन किशनगढ में शराब पीकर दोनो ने आपस में लडाई झगडा व गाली गुप्तार तथा अभद्र व्यवहार किया था। इस कृत्य से आपका मुआयना यज्ञ नारायण हास्पिटल, किशनगढ से करवाया गया था। एम0ओ0 द्वारा डाक्टरी मुआयना रिपोर्ट में आप दोनो का शराब पीना तहरी किया । आपके इस अनुशासनहीन कृत्य से दिगर प्रशिक्षणार्थियों पर बुरा असर पडा है तथा जनता के सामने पुलिस छवि घुमिल हुई। प्रशिक्षण की अल्प अवधि में आप सर्व श्री बलबीर सिंह दिनांक 5.6.97 को 2 योम सी0एल0 1 योम जी0एच0 दिनांक 12.6.97 को 2 योम सी0एल0 व 2 योम जी0एच0 दिनांक 17.6.97 को 1 योम सी0एल0, दिनांक 3.7.97 को दो योम सी.एल. व एक योम जी.एच. दिनांक 24.8.97 को दो योम सी0एल0 तथा ओ0आर0 की पेशी में छः योम सी0एल0 इस प्रकार कुल 23 योम अवकाश पर रहे तथा दिनाक 12.6.97 को एक योम, दिनांक 3.9.97 को 3 योम, दिनांक 24.8.97 को 3 योम, दिनांक 2.9.97 को 3 योम। इस प्रकार कुल 10 योम स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहे। दिनांक 17.7.97 से 11.8.97 तक 25 योम बीमार व चार योम अस्पाताल में भर्ती रहे। इस प्रकार आप कुल 63 योम अनुपस्थित रहे। आपने प्रशिक्षण में रूचि नहीं ली। आप श्री रण सिंह दिनांक 17.6.97 को 4 योम सी0एल0 दिनांक 11.7.97 का दो योम जी0एच0, दिनांक 17.7.97 को दो योम सी0एल0 व दो योम जी0एच0, दिनांक 23.8.97 को तीन योम सी0एल0 व एक योम जी0एच0। इस प्रकार कुल 19 योम अवकाश पर रहे। दिनांक 17.6.97 को तीन योम, दिनांक 6.8.97 को तीन योम स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहे।इस प्रकार आप कुल 25 योम अनुपस्थित रहे तथा प्रशिक्षण में रूचि नहीं ली। आप दोनो स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के आदि है।

आपका उपरोक्त कार्य घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं दुराचरण का परिचायक है। जो नियमानुसार दण्डनीय है।

कार्यालय सहायक
(ग्रुप—7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

जांच उपरान्त कानि0 श्री रण सिंह को अनुशासनिक अधिकारी ने सेवा से प्रथक किये जाने का आदेश जारी किया, जिसके विरूद्ध श्री रण सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील /रिव्यू में भी सक्षम अधिकारियों ने सेवामुक्ति आदेश को यथावत रखा ।

कानि0 श्री रण सिंह ने उक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 10236/05 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.2.06 द्वारा खारिज कर दिया ।
खारिज करने में माननीय न्यायालय ने यह माना कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जारी सेवा मुक्ति आदेश उचित है।

कानि0 श्री रण सिंह ने एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध खण्ड पीठ के समक्ष अपील दायर कीं उसे भी माननीय खण्ड पीठ ने खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपील संख्या 1020/07 दिनांक 19.7.10 में यह माना कि सशस्त्र बल का सदस्य होने के बावजूद उससे आशा की जाती है कि अनुशासन रखेगा। जब कि उसके द्वारा शराब पीकर प्रशिक्षण काल में अनुशासनहीनता का परिचय दिया, इसके अलावा स्वेच्छा से अनुपस्थित भी रहा। उक्त को देखते हुए रिट याचिका में पारित निर्णय में दखल देने का ऐसा कोई कारण नहीं पाते हुए अपील को खारिज कर दिया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में यह आशा की जाती है कि अनुशासनहीनता व स्वैच्छा से अनुपस्थिति के प्रकरणों में निर्णय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा प्रतिपादित विचार को ध्यान में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में समान प्रकार के मामलों में न्यायोचित कार्यवाही हो सके।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, आर0पी0ए0/एस0सी0आर0बी0/एफ0एस0एल0/पी0टी0सी0, राजस्थान
3. उप महानिरीक्षक पुलिस,(प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी0आर0पी0 अजमेर/जोधपुर।
5. समस्त कमान्डेन्ट, आर0ए0सी0/एम0बी0सी0 मय आई0आर0 बटालियन, दिल्ली।
6 समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपर।

35

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजसथान, जयपुर।।

क्रमांकः– र–9(5)पु0वि0/ग्रुप–7/2010/4350-56 दिनांक 20-7-2010

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या व–15(1)पुलिस विधि/परिपत्र/ग्रुप–7/08/4925 दिनांक 29.8.08 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब दावा तैयार कराने के पश्चात पुलिस मुख्यालय से परीक्षण कराये जाने के पश्चात ही न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें।

उपरोक्त निर्देश दिये जाने के बावजूद भी ऐसे कई प्रकरण पुलिस मुख्यालय की जानकारी में आये है, जिनमें प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाब का परीक्षण पुलिस मुख्यालय से कराये बिना ही जवाब न्यायालय में सीधे ही प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये जावें कि भविष्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले जवाब बिना पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करें, अन्यथा विपरिंत स्थिति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, आर0पी0ए0,/एस0सी0आर0बी0/पुसिस दूर संचार, राजस्थान।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन/एम0बी0सी।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, पी0टी0एस0 राजस्थान मय एस0टी0एस0, जयपुर/पी0एम0डी0एस0 बीकानेर।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजसथान, जयपुर।।

क्रमांकः– र–9(5)पु0वि0 / ग्रुप–7 / 2010 / 4350-56 दिनांक 20-7-2010

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या व–15(1)पुलिस विधि / परिपत्र / ग्रुप–7 / 08 / 4925 दिनांक 29.8.08 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब दावा तैयार कराने के पश्चात पुलिस मुख्यालय से परीक्षण कराये जाने के पश्चात ही न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें।

उपरोक्त निर्देश दिये जाने के बावजूद भी ऐसे कई प्रकरण पुलिस मुख्यालय की जानकारी में आये है, जिनमें प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाब का परीक्षण पुलिस मुख्यालय से कराये बिना ही जवाब न्यायालय में सीधे ही प्रस्तुत किये जा रहे है।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये जावें कि भविष्य में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले जवाब बिना पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करें, अन्यथा विपरित स्थिति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, आर0पी0ए0, / एस0सी0आर0बी0 / पुसिस दूर संचार, राजस्थान।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन / एम0बी0सी।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, पी0टी0एस0 राजस्थान मय एस0टी0एस0, जयपुर / पी0एम0डी0एस0 बीकानेर।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

राजस्थान पुलिस राजस्थान पुलिस

(37)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–व–15(10)पु0वि0 / ग्रुप–7 / 07 / 5700 दिनांकः–08/29/10

परिपत्र

विषयः– भूमि सम्बंधी प्रकरणों की समीक्षा एवं त्वरित कार्यवाही।

प्रायः यह देखा गया है कि पुलिस विभाग को आवटित / [illegible] की भूमि के सम्बंध में अन्य विभागों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में [illegible] किये गये प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों के स्तर पर समुचित कार्यवाही के [illegible] में न्यायालयों द्वारा विभाग के विरुद्ध निर्णय दिये जाने की संभावना बनी रहती है।

यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला / यूनिट से संबंधित इस [illegible] के सभी प्रकरणों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेन्ट के स्तर पर प्रतिमाह [illegible] जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी द्वारा [illegible] कार्यवाही की जा रही है। मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला [illegible] के प्रकरण की सूची संलग्न है।

अतः विभाग के भूमि सम्बन्धी विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों की [illegible] की जाकर उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालयों के समक्ष उचित पक्ष / जवाब प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें, जिससे इन न्यायिक प्रकरणों में विभाग के विरुद्ध फैसलों की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। समीक्षा करने के [illegible] रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(मुख्यालय),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज / आरएसी राजस्थान।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी0आर0पी0 अजमेर / जोधपुर।
3. समस्त कमान्डेन्ट, आर0ए0सी0 / एम0बी0सी0 मय आई0आर0बटालियन, दिल्ली।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

महानिरीक्षक पुलिस [illegible])
राजस्थान, जयपुर।

[illegible] निरीक्षक

राजस्थान पुलिस

38

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक व-15(1) पुलिस/विधि/परिपत्र/ग्रुप-7/09/5900 दिनांक- 13/09/10

आदेश

प्रायः यह देखा जाता है कि न्यायालय के निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय देकर पालना के निर्देश दिये जाने के पश्चात भी निर्णयों की पालना सक्षम प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में लम्बे समय तक लम्बित रहती है, जिसके कारण न्यायालय के अवमानना की सम्भावना हो जाती है।

इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के निर्णय पर अपील नहीं करने का निर्णय ले लिया जाने पर विधि शाखा द्वारा संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना प्रेषित की जाती है, संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य है कि शीघ्रातिशीघ्र तद्नुसार आदेश प्रसारित कर न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित कराये, ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना के लिए किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति/मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्रकरण की प्रकृति के अनुसार प्रस्ताव महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय)/महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक)/अन्य संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करना चाहीये, उसी अनुसार न्यायालय निर्णय की पालना हेतु वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प-17(26)/वित्त/समन्वय/2008 दिनांक 17/6/2009 के अनुसार चैक लिस्ट में प्रकरण तैयार कर वित्तीय सलाहाकर पुलिस मुख्यालय को भेजकर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा आगे अपील नहीं करने का निर्णय लेने के बाद प्रकरण को पुनः इस कार्यालय को प्रेषित करने पर निर्णय की पालना में विलम्ब होता है, जो वांछनीय नहीं है। अतः भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जावें।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय निदेशक आरपीए/पुलिस दूरसंचार/एस.आर.बी., जयपुर ।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय ।
3. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. मय आई.आर. बटालियन/प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय सहायक
विधि निदेशालय (ग्रुप-7)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः–र–9(184)पु0वि0 / ग्रुप–7 / 10 / 6300 दिनांक 27 सितम्बर,10

पुलिस महानिरीक्षक,
कोटा रेंज, कोटा।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अभ्यावेदन निस्तारित करने से पूर्व पुलिस मुख्यालय की स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बंध में।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक र–9(2)कोरेरिट / 2009–10 / 1707–8 दिनांक 31.8.2010 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सेवा सम्बंधी सभी मामले राज्य सरकार के आदेश एवं नियमों के अन्तर्गत निस्तारित होते है। परन्तु कभी कभार माननीय न्यायालयों द्वारा राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के विपरित आदेश प्रसारित कर निर्णय पारित किया जाता है।

सेवा सम्बंधी सभी मामले में पारित निर्णयों में पालना करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है। परन्तु राज्य सरकार ने उन मामलों में जंहा अभ्यावेदन निस्तारण करने के निर्देश है, को विभाग के स्तर पर निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया है। अभ्यावेदनों के निस्तारण का तात्पर्य यह है कि अगर प्रचलित नियमों के अन्दर वादी को अनुतोष दिया जा सकता है तो उसे यह अनुतोष दिया जाना चाहिये। परन्तु यंहा यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जिन मामलों में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रचलित नियमों के विपरित हो तो अनुतोष देने से पूर्व राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

यह सही है कि कुछ प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये समय सीमा के अन्दर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाती है तो प्रार्थी द्वारा अवमानना याचिका दायर कर दी जाती है। परन्तु ऐसे मामलों में भी यदि चाहा गया अनुतोष प्रचलित नियमों के विपरित है तो पुलिस मुख्यालय / राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रतिक्षा करनी चाहिये एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रार्थी को तद्नुसार अनुतोष देने हेतु आदेश प्रसारित करने चाहिये।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
(ग्रुप–7)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः– व–15( )पु0 विधि/ग्रुप–7/010/6604 दिनांकः– 18 अक्टूबर, 010

1. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
2. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/एमबीसी/आई.आर. बटालियन दिल्ली एवं प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।

विषयः– सेवा सम्बन्धि एवं सिविल न्यायिक प्रकरणों की मासिक एवं त्रैमासिक सूचना भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त जिला/यूनिटों द्वारा विचाराधीन सेवा सम्बन्धि व सिविल न्यायिक प्रकरणों की सूचना आपराधिक प्रकरणों की विचाराधीन याचिका/वादों की सूचना को सम्मिलित करते हुये विधि शाखा ग्रुप–7 पुलिस मुख्यालय को भिजवाई जाती है, जिससे मुख्यालय स्तर पर सिविल/सेवा सम्बन्धि व आपराधिक प्रकरणों को पृथक–पृथक किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः पूर्व में जारी निर्देशों के अतिक्रमण में निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में केवल सेवा सम्बन्धि/सिविल प्रकरणों की मासिक एवं त्रैमासिक सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जावेगी, जनमें विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों की सूचना को सम्मिलित नहीं किया जावेगाः–

1. समस्त जिला/यूनिटों द्वारा मासिक तालिका के अनुसार सूचना प्रत्सेक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय को संलग्न प्रर्फोमा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें। मासिक तालिका का प्रर्फोमा A,B,C,D, संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।
2. समस्त जिला/यूनिटों की त्रैमासिक सूचना तालिका में प्रत्येक तिमाही की समाप्ती के पश्चात आने वाली 5 तारीख तक इस कार्यालय को संलग्न प्रर्फोमा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। त्रैमासिक सूचना का प्रर्फोमा संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।
3. न्यायिक प्रकरणों की सभी प्रकार की सूचनायें महानिरीक्षक पुलिस, (नियम) अथवा उप विधि परामर्शी को सम्बोधित कर भिजवायी जावे। महानिरीक्षक पुलिस, (नियम) अथवा उप विधि परामर्शी को प्रेषित करने की स्थिति में अन्य अधिकारी को प्रतिलिपि पृष्ठांकित नहीं की जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

महानिरीक्षक पुलिस,(नियम)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेल्वेज, राज0 जयपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान,
3. निदेशक, आरपीए/पुलिस दूरसंचार/एस.सी.आर.बी./एफ.एस.एल. राज0।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षण) राज0 जयपुर।

राजस्थान ~~सुचिकाय~~ पु

(51)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः–व–15(1)पु0वि0/ग्रुप–7/09/8447 दिनांक 21 दिसम्बर,10

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक व–15(1)पु0वि0/परिपत्र/ग्रुप–7/08/4925 दिनांक 29/8/08 एवं 4350–56 दिनांक 20/7/10 द्वारा रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब दावा तैयार करवाने के पश्चात पुलिस मुख्यालय से परीक्षण कराये जाने के बाद ही न्यायालय में प्रस्तुत किय जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु हाल ही में देखने में आया है कि सम्बंधित न्यायालयों में जवाब दावे बिना अनुमोदन के न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है, जो कि प्रकिया के विपरित है।

अतः विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वादकरण से सम्बंधित परिपत्रों के अनुसरण में निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में समस्त न्यायालयों एवं अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले जवाब दावों तथा वाद पत्र/रिट याचिकाऐं जो कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की जाती हैं, उक्त में पुलिस मुख्यालय द्वारा विधिक्षा कराने के पश्चात ही जवाब/रिट/वाद आदि प्रस्तुत किये जाने हेतु आपके अधीनस्थ समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवमानना प्रकरणों, स्थगन प्रार्थना पत्रों/अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों व व्यवहार प्रकरणों में प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्रों के जवाब की विधिक्षा आवश्यक नहीं है।

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
2. निदेशक, आर0पी0ए0/एस0सी0आर0बी0/पुलिस दूर संचार, राजस्थान,जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 मय आई0आर0 बटालियन/एम0बी0सी0 खेरवाड़।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0, जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, पी0टी0सी0,राजस्थान मय एस0टी0एस0, जयपुर/पी0एम0डी0एस0 बीकानेर।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

(42)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–ए–9(190)पु0वि0/ग्रुप–7/09/189 दिनांक ~~दिसम्बर,10~~ 06-01-11

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. श्री बी0एस0राजावत, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. श्री इन्दु शेखर पारीक, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. स्थायी राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

विषयः– परिनिन्दा के दण्ड के कारण देय चयनित वेतनमान की तिथि में की जाने वाली वृद्धि हेतु माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशो के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि वे प्रकरण जिनमें राज्य कार्मिको को परिनिन्दा के दण्ड के कारण चयनित वेतनमान का लाभ विलम्ब से दिये जाने का विवादित विषय निहित है, उक्त के सम्बंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्व निर्णय क्रमशः ए0आई0 1991 एस0सी0 10, डब्लू एस0सी0 (राज0) 1992(2) जो कि उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णित किये है की प्रतियां प्रेषित कर निर्देश दिये हैं कि जब तक उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धान्त परिवर्तित नहीं कर दिये जाते तब तक खण्ड पीठ, एकल पीठ व अधिकरण पर उक्त निर्णयों के लागू रहने से माननीय न्यायालय को अवगत कराते हुए विचाराधीन प्रकरणों में स्थगन आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही करावें। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी विषय/विन्दु पर क्रमशः 1998(9) section 261 व 1915(sub–2) sec. 83, भी प्रकरण निर्णित किये है।

अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय/न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के क्रम में माननीय न्यायालय से निवेदन करते हुए राज्य पक्ष में कृपया पैरवी कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः– समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज/समस्त पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट को प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को उक्तानुसार न्यायालय निर्णयों की स्थिति से अवगत कराते हुए निर्देशित करें कि सम्बंधित राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर राज्य हित में प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

कार्यालय सहायक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः–र–9(131)पु0वि0/ग्रुप–7/10/290–91 दिनांक 10 जनवरी 2011

1– समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी0आर0पी0 अजमेर/जोधपुर।
2– समस्त कमान्डेन्ट, आर0ए0सी0/एम0बी0सी0 मय आई0आर0 बटालियन, राजस्थान।

विषयः– परिनिन्दा के दण्ड के कारण चयनित वेतनमान का लाभ स्थगित किये जाने के सम्बंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24/7/95 को रिव्यू करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय अपील अधिकरण/उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना किये जा हेतु आपके अधीनस्थ प्रभारी अधिकारियों को पाबन्द करे कि इस विषय/बिन्दु प जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका राज्य सरक बनाम श्री शंकर लाल विचाराधीन है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उच्चत न्यायालय के निर्णय तक स्थगित किया जावे।

साथ ही उक्त प्रकार के सभी प्रकरणों को एक साथ लगवाकर प्रकरण की सुनवाई एक साथ करने की माननीय न्यायालय से प्रार्थना करने हेतु भी प्रभा अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें।

भवदीय,

महानिरीक्षक पुलिस(नियम),
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपिः– शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–11) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प–7(267)गृह–11/10 दिनांक 22/11/10 के क्रम में प्रेषित है।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय,राजस्थान,जयपुर।

कार्यालय सहायक

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः–र–9(118)पु0 विधि/ग्रुप–7/010/10081–85 दिनांकः–07 अक्टूबर,011

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय व अपीलीय अधिकरण के समक्ष परिनिन्दा के दण्ड के कारण देय चयनित वेतनमान में दण्ड की मात्रा के अनुसार देय तिथि में वृद्धि के कारण रिटें/ अपीलें विचाराधीन है। जिनमें समय–समय पर माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा श्री देवी सिंह बनाम स्टेट में पारित निर्णय के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

इस प्रकार के निर्णयों के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिटें/अपील/विशेष अनुमति याचिकायें दायर की गई थी। **विशेष अनुमति याचिका/ सिविल अपील संख्या 8404/011 स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम श्री शंकर लाल परमार** व अन्य अपीलें 8405–09/011, 8414/011 तथा 8410–11/011 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.09.011 द्वारा निर्णित करते हुये खण्डपीठ द्वारा पारित आदेशों को निरस्त/अपास्त किया है तथा निम्न आदेश पारित किया है:–

(i) The Appellant-State would not be entitled to recover financial benefits already extended to the employee, pursuant to the first office order issued by Appellant on 25.01.1992.

(ii) The Appellant would not also be entitled to recover any amount which might have been paid to the employees even after issuance of the second clarificatory office order/letter dated 24.07.1995 as according to us, recovery of such amount would cause great hardships to the employees.

(iii) The employees who have earned censure in the pastyears for their service record will not be entitled to the granted 'selection Grade' alongwith those who have a clean and unblemished record. They would be granted 'selection Grade' only one year thereafter.

(iv) Any employees who has been promoted before the said period would not be entitled for the grant of 'Selection Grade'.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश को Overruled करते हुये परिनिन्दा के दण्ड के कारण देय चयनित वेतनमान की तिथि में की गई वृद्धि को वैद्य ठहराया है, इसके अलावा राज्य/विभाग के परिपत्र दिनांक 24.07.1995 व 24.08.1995 को भी सही/वैद्य ठहराया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय उच्चतम न्यायालय की निर्णित प्रकरणों की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय/अपीलीय अधिकरण के समक्ष लम्बित प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अधिकरण/न्यायालय को अवगत कराते हुये प्रकरणों का निस्तारण विभाग के पक्ष में कराया जाना सुनिश्चित करावें।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, आर0पी0ए0 जयपुर/आर0पी0टी0सी0 जोधपुर/पी0टी0सी0 राजस्थान जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर।

उपरोक्त समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना अपने अधिनस्थ अधिकारियों से किया जाना सुनिश्चित करावें।

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रुप–7)
पुलिस मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर

07/10/11

(45)

।।कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः–घ–1(82)पु0 विधि/ग्रुप–7/2011/1111-15 दिनांकः–13 फरवरी, 012

परिपत्र

शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या प.6(22)प्र0सु0/अनु0–3/2000 दिनांक 10.02.010 द्वारा गठित प्रि–लिटिगेशन कमेटी द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 के नोटिस या डिमांड ऑफ जस्टिस के नोटिसेज पर पूर्ण विचार कर लिये गये निर्णयानुसार/निर्देशानुसार सम्बन्धित द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि कार्यालय अध्यक्ष सीधे ही अभिभाषक को नोटिस का जवाब उपलब्ध कराकर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण पालना नही की जा रही है।

अतः भविष्य में 80सी0पी0सी0 के नोटिस या डिमांड ऑफ जस्टिस का जवाब सीधे ही अभिभाषक या नोटिस दाता कों उपलब्ध नहीं कराया जावे। नोटिस प्राप्त होने पर नोटिस व नोटिस की तथ्यात्मक टिप्पणी की 5 प्रतियां गृह विभाग व एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाइे जावे। तत्पश्चात उक्त नोटिस पर प्रि–लिटिगेशन कमेटी द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अभिभाषक/नोटिस दाता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(पुर्नगठन) राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, आर0पी0ए0,/ एस0सी0आर0बी0 राज0 जयपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय कमिश्नर जयपुर/जोधपुर।
3. प्रिन्सीपल, आर0पी0टी0सी0 जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी मय एम0बी0सी0 खैरवाडा/प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।

उप विधि परामर्शी,
पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय सहायक
विधि अनुभाग (ग्रु–7)